To be filled in by the candidate in his own handwriting No. F/1 /9 -R Roll No.

हाल ही के पासपोर्ट आकार (5 से.मी. × 7 सें.मी) के हस्ताक्षरित फोटो की प्रति चिपकाइए Affix signed Passport size (5cm × 7cm approx.) copy of recent photograph

साक्ष्यांकन फार्म/ATTESTATION FORM चेतावनी/WARNING

साक्ष्यांकन फार्म में झूठी सूचना देना या किसी तथ्य को छिपाना अनर्हता समझी जाएगी तथा उसके कारण उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य समझे जाने की संभावना है।

The furnishing of false information or suppression of any factual information in the Attestation Form would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the Government.

2. इस फार्म को भरने और भेजने के बाद यदि उम्मीदवार को नजरबन्द, गिरफ्तार किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, बन्दी, जुर्माना, दण्डित, विवर्जित, दोषमुक्त आदि किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल संघ लोक सेवा आयोग को अथवा उस अधिकारी को यथास्थिति भेजी जानी चाहिये, जिसको पहले साक्ष्यांकन फार्म भेजा गया है। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि वास्तविक सूचना छिपाई गई है।

If detained, arrested, prosecuted, bond down, fined, convicted, debarred, acquitted etc. subsequent to the completion and submission of this form the details should be communicated immmediately to the Union Public Service Commission or the authority to whom the attestation form has been sent earlier, as the case may be, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information.

3. यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल में यह पता चलता है कि साक्ष्यांकन फार्म में झूठी सूचना दी गई है या किसी तथ्य को छिपाया गया है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the attestation form comes to notice at any time during the service of a person, his services would be liable to be terminated.

	उपनाम	नाम
	Surname	Name
 पूरा नाम (साफ अक्षरों में) दूपनामों सहित (यदि आपने अपने नाम या उपनाम में किसी समय कुछ बढ़ाया या घटाया है तो कृपया बताएं) Name in full (in Block, Capitals), with aliases, if any (Please indicate if you have added or dropped at any stage, any part of your name or surname). 		
 वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नं., गली/सड़क/मार्ग और नगर) 		
Present address in full (i.e. Village, Thana and District or House Number, Lane/Street/Road and Town)		
 (क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नं., गली/सड़क/मार्ग और नगर और जिले के मुख्यालय का नाम)। 	(क)	
(a) Home address in full (i.e. Village, Thana and District or House Number, Lane/Street/Road and Town and name of District Headquarter).	(a)	
(ख) यदि पाकिस्तान का मूल निवासी है तो उस देश में पता और भारत संघ में प्रजनन की तारीख।	(ख)	
(b) If originally a resident of Pakistan the address in that country and the date of migration to Indian Union.	(b)	

4. उन स्थानों का व्यौरा (रहने की अविधयों सिहत) जहां आप पिछले पांच वर्षों में एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेशी (पाकिस्तान सिहत) रहे हों तो उन स्थानों का ब्यौरा देना चाहिए जहां आप एक वर्ष से अधिक समय तक 21 वर्ष की आयु होने के बाद रहे हों।

Particulars of places (with periods of residences) where you have resided for more than one year at a time during the preceding five years. In case of stay abroad (including Pakistan) particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of 21 years should be given.

कब से	कब तक	निवास स्थानों के पूरे पते (अर्थात् ग्राम, थाना और जिले या	पिछले खाने में दिये गये स्थान के जिले के
From	То	मकान नम्बर, गली/सड़क/मार्ग और नगर)	मुख्यालय का नाम
		Residential address in full (i.e. village, Thana and District or House Number, Lane/Street/Road and Town	Name of the District Headquarters of the place mentioned in the preceding column

5. (क)

(a)

रिश्ता	नाम	राष्ट्रीयता (जन्म	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि	वर्तमान डाक का पता	घर का स्थाई पता
	ion Name	से औए/या अधिवास से) Nationality (by birth and/ or by domicile)	Place of birth	सेवा में हो तो पूरा पदनाम और कार्यालय का पूरा पता दिया जाये) Occupation (if employed give full designation & Official address)	(यदि मृतक हो तो पिछला पता) Present Postal address (if dead give last address)	Permanent Home address
(ii) (iii) (iv) (v)	पिता (पूरा नाम, उपनामों सहित यदि कोई हो) Father (Name in Full aliases, if any) माता Mother पत्नी/पित Wife/Husband भाई Brother(s) बहनें Sister(s)					

- (ख) विदेश में पढ़ रहे/रह रहे पुत्र/(पुत्रों) और/या पुत्री/(पुत्रियों) के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना।
- (b) Information to be furnished with regard to son(s) and/or daughter(s) in case they are studying/living in a foreign country.

नाम Name	राष्ट्रीयता (जन्म से और/या अधिवास से Nationality (by birth and/ or by domicile)	जन्म का स्थान) Place of birth	देश का नाम जहां पढ़ रहे/ रह रहे हैं पूरा पता Country in which studying/living with full address	पिछले कालम में दिये गये देश में जिस तारीख़ से पढ़/रहे हैं Date from which studying/ living in the country mention in previous column
		*		

6.	राष्ट्रीय	प्रता		
•	_	onality		
7.	(क)	जन्म की तारीख (ईस्वी संवत् में)	(क)	
	(a)	Date of birth (in Christian era)	(a)	
	(ख)	वर्तमान आयु	(ख)	
	(b)	Present Age	(b)	
	(ग)	मैट्रिक के समय आयु	(刊)	
	(c)	Age at matriculation	(c)	
8.	(क)	जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें यह स्थित है	(क)	
	(a)	Place of birth, District and State in which situated	(a)	
	(ख)	आप किस जिले और राज्य के हैं	(ভ)	
	(b)	District and State to which you belong	(b)	
	(ग)	आपके पिता मूल रूप से किस जिले और राज्य के हैं	(刊)	
	(c)	District and State to which your father originally belongs	(c)	
9.	(क)	आपका धर्म	(ক)	
	(a)	Your religion	(a)	
	(रव)	क्या आप अनुमुचित जाति/जनजाति/अन्य पिळडी जाति के हैं?	(म्ब)	

10. 15 वर्ष की आयु से किन-किन स्कूलों और कालेजों में और किन-किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त की उसके स्थानों को वर्षों के साथ दिखाते हुए शिक्षा संबंधी योग्यताएं।

Are you a member of a Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC?

उत्तर हाँ या नहीं के रूप में दें।

Answer 'Yes or No'

Educational qualification showing places of education with years in Schools and Colleges since 15th year of age:

(b)

स्कूल/कालेज का नाम और पूरा पता Name of School/College with full address	प्रवेश की तारीख Date of entering	छोड़ने की तारीख Date of leaving	परीक्षा Examination		
	·				

- 11. (क) क्या आप इस समय केन्द्रीय या राज्य सरकार या अर्ध-सरकारी या स्थायीवत् सरकारी निकाय या स्वशासी निकाय या सार्वजनिक उपक्रम या किसी गैर स्क्रकारी उपक्रम या संस्था के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं या पहले कभी कार्य किया है? यदि हौं, तो नियोक्ता की तारीख सहित पूर्ण विवरण दें।
 - (a) Are you holding or have any time held an appointment under the Central or State Government or a semi-Government or a quasi-Government body or an autonomous body, or a public undertaking or a private firm or institution? If so, give full particulars with dates of employments up-to-dates:

अवधि Period		पद, परिलब्धियां तथा रोजगार का स्वरूप Designation, emoluments and nature of employment	नियोक्ता का पूरा नाम व पता Full name and address of employer	पहली नौकरी छोड़ने का कारण Reasons of leaving previous service		
से From	तक To					
	1					

- 11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार/राज्य सरकार/भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या संचालित किसी उपक्रम, किसी स्वायत् निकाय, विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के अधीन थी, यदि आपने केन्द्रीय सिविल सेवार्ये (अस्थाई सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के अधीन या किन्हीं इसी प्रकार के नियमों के अधीन एक महीने का नोटिस देकर सेवा छोड़ी थी तो क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी या जब आपकी सेवा को समाप्त करने के लिए नोटिस दिया गया था या बाद में आपकी सेवा के वास्तव में समाप्त होने से पहले तक आपसे किसी मामले में आपके आवरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था?
 - (b) If the previous employment was under the Government of India/State Government/an Undertaking owned or controlled by the Govt. of India or a State Government/Autonomous body/Unviersity/local body. If you had left service on giving a month notice under Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 or any similar corresponding rules were any disciplinary proceedings framed against you, or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice of termination of service, or at a subsequent date before your services actually terminated?

12.		क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये?	(a) Have you ever been arrested?	हाँ/नहीं Yes/No
		क्या आप पर कभी मुकदमा चला है?	(b) Have you ever been prosecuted?	हाँ/नहीं Yes/No
		क्या आप कभी नजरबंद रखे गये?	(c) Have you ever been kept under detention?	हाँ/नहीं Yes/No
		क्या आप कभी बंदी बनाये गये?	(d) Have you ever been bound down?	हाँ/नहीं Yes/No
	(ङ)	क्या आप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा	(a) Have you ever been fined by a Court of	हौँ/नहीं Yes/No
		जुर्माना किया गया है?	Law?	
	(핍)	क्या आप कभी किसी अपराध के लिये न्यायालय	द्वारा दोषों टहराए गए हैं?	हाँ/नहीं
	(f)	Have you ever been convicted by a Cour	t of Law for any offence?	Yes/No
	(ভ	क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए विवर्जित उह जिलाधिकरण/संस्था द्वारा निकाले गये?	राए गए या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य	हाँ/नहीं
	(g)	Have you ever been debarred from any e	xamination or rusticated by any University or	Yes/No
	(ज)	any other educational authority/institution क्या आप कभी किसी से लोक सेवा आयोग/कर्मच चयन के लिए विवर्जित/अयोग्य टहराए गए हैं?	ारी चयन आयोग द्वारा उसकी किसी परीक्षा में बैठने/	हॉं/नहीं
	(h)	Have you ever been debarred/disqualified Selection Commission for any of their exa		Yes/No
	(झ)	इस साक्ष्यांकन फार्म को भरते समय क्या किसी न्य	।।यालय में आपके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है?	हाँ/नहीं
	(i)	If any case pending against you in any coattestation Form?	ourt of law at the time of filling up this	Yes/No
	(স)	इस साक्ष्यांकन फार्म को भरते समय क्या किसी शैं चल रहा है?	क्षिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला	हाँ/नहीं
	(j)		University or any other educational authority/	Yes/No
	(군)	क्या सरकार के अधीन किसी प्रशिक्षण संस्थान से अन्यथा है?		हाँ/नहीं
	(k)		om any training institution under the Govt.	Yes/No
	(ਡ) ਜ਼੍ਹ	उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि हाँ में हो ते आदि के होने औरया इस फार्म को भरते समय न्य रहे मुकदमे के मामले के संबंध में ब्यौरा दीजिए।	मामला गिरफ्तार/नजरबन्द/जुर्माना/अपराधी/कारावास/सजा ग्यालय/विश्वविद्यालय/शैक्षिक प्राधिरकण/संस्था में चल	
	(1)	If the answer to any of the above mention case/arrest/detention/fine/conviction/senten	ned question is 'Yes', give full particulars of the ce/punishment etc. and/or the name of the case al Authority etc. at the time of filling up this form.	
ਟਿਆ Note				he case may
<i>1</i> 3.			दो व्यक्तियों के नाम दीजिए जो आपको जानते हों। 1. ity or two referees to whom you are known. 2.	
	हैं जिसव I cert	ने कारण मैं सरकार के अधीन नौकरी के लिए योग्य	and complete to the best of my knowledge and belief	
तारीर	a			

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

Signature of Candidate

Date

Place

स्थान.....

पहचान प्रमाण-पत्र IDENTITY CERTIFICATE

प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए:— Certificate to be signed by any one of the following:—

- (1) केन्द्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी; Gazetted officers of Central or State Government;
- (2) साधारण तथा जहां का उम्मीदवार तथा उसके माता-पिता/रक्षक निवासी हैं उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य या राज्य विधान मण्डल के सदस्य;

Members of Parliament or State legislature belonging to the constituency where the candidate or his parent/guardian ordinarily reside;

- (3) सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट/अधिकारी;
 - Sub-Divisional Magistrate/Officers;
- (4) मैजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत तहसीलदार या नायब उप-तहसीलदार; Tehsildar or Naib/Dy. Tehsildar authorised to exercise magisterial powers;
- (5) जहां उम्मीदवार पहले पढ़ता रहा हो वहां के मान्यताप्राप्त स्कूल/कालेज/संस्था का प्रिंसिपल/मुख्याध्यापक; Principal/Headmaster of the recognised School/College/Institution where the candidate studied last;
- (6) ब्लाक विकास अधिकारी; Block Development Officers;
- (7) पोस्टमास्टर; और Postmaster; and
- (8) पंचायत निरीक्षक; Panchayat Inspectors;

पमाणित किया जाता है मैं श्री/श्रीमती/कुमारी	पुत्र/पुत्री श्री
Certified that I have known Shri/Shrimati/Kumari	son/daughtger of
Shri	
को पिछले	च्यू
for the last	yearsmonths
महीनों से जानता हूँ और जहां तक मुझे पता है और विश्वास है कि उसने	जो ब्यौरे दिये हैं वह सही हैं।
and that to the best of my knowledge and belief the particular	ars furnished by him/her are correct.
and the second of the second o	
	हस्ताक्षर
	Signature
	पदनाम या हैसियत और पता
	Designation or Status and address
स्थान	
Place	
तारीख	entral established a service of the
Date .	
·	

(कार्यालय द्वारा भरा जाने के लिए) (To be filled by the Office)

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता Name, designation and full address of the appointing authority
- (2) पद जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है। Post for which the candidate is being considered.

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, NEW DELHI

Subject:—Note regarding payment of the Commission's contribution towards travelling expenses of candidates summoned for Interview/Personality Test/Viva Voce/Intelligence Tests etc.

The Union Public Service Commission do not defray the travelling or other expenses of candidates summoned for interview. They however, contribute towards those expenses to the extent mentioned below:—

- (a) In respect of journeys by rail, payment of the Commission's contribution towards the travelling expenses of a candidate shall be restricted to a single Second Class (mail) railway fare by the shortest route to the place of interview from the railway station nearest to the candidate's normal place of residence or from which he actually performs the rail journey, which is nearer to the place of interview, and back to the same station or the amount of railway fare actually incurred, whichever is less. In addition to Second Class railway fare, sleeper charges shall be reimbursed to the candidates who avail of the sleeper facility, in respect of journey by sea from and to any place in India which is not connected by rail and where the mode of travel is by steamer, the rate of contribution will be restricted to a single Second Class steamer fare exclusive of the diet charges. In the case of candidates who are called for interview from Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep, the Commission's contribution towards their steamer charges will be restricted to "Bunk Class" fare only. In the case of a candidate who comes from outside India, the Commission's contribution towards T.A. will be restricted to that admissible for journeys performed within the limits of the Indian
- (b) A candidate who resides at a place where there is no railway station shall, for the portion of road journey, performed by him, be paid road mileage at the rate of 8 paise per Kilometre or the actual amount paid for the road journey, whichever is less. The road mileage will be based on the road journey performed to and from the nearest railway or steamer station, or from the sub-division or Tehsil Headquarters, to the nearest railway or steamer station and back, whichever distance is shorter.
- (c) Railway servants will be paid the same contribution as are admissible to other candidates on producing a certificate from the appropriate railway authority to the effect that they were not provided with free passes/P.T.O.'s to cover the journey. No such contribution will be paid if they use a privilege pass for the purpose of coming for interview.
- (d) If railway servants or other Central Government servants use a Privilege Tickets Order they will be paid the amount spent on the Privilege Ticket Order subject to a maximum of the Second Class railway fare by the shortest route or the amount of railway fare actually incurred by the candidates whichever is less.
- (e) Halting allowance at the rate of Rs. 30.00 per day shall be granted to candidates summoned for interview/personality tests etc. at Delhi in the following circumstances:—
 - (i) Where a candidate is invited for interview on a particular date, but is not interviewed on that date due to administrative difficulties and is interviewed on another date soon thereafter;
 - (ii) Where candidate is called for interview by the Commission for different post on to different dates the interval between these dates being so short that the candidate cannot be expected to go back and come again; and

- NOTE—Halting allowance under the clause may also be granted by the Commission to a candidate who is called for an interview by any Organisation, other than the Commission and is paid T.A. by that Organisation for his journey from his normal place of residence to the place of interview and back (but not halting allowance for the same period) and who continues to stay at the place of interview to attend interview of the Commission provided that such halting allowance would have been payable by the Commission under the sub-para had the earlier interview also been arranged by the Commission instead of by any other Organisation.
 - (iii) Where a candidate is required to take a written practical test followed by interview on a subsequent date.

No halting allowance shall be admissible for the particular date(s) on which an interview or a written test is held. The payment of halting allowance shall be subject to the condition that the contribution towards travelling allowance for the journey to and from plus the halting allowance is more economical than the payment of T.A. contribution for two separate journeys to and from.

- (f) In all cases where rail-cum-road Tickets are available candidates should utilise them for their journey. The Commission's contribution in such cases will be limited to the cost of rail-cum-road tickets, wherever such tickets are available.
- (g) In all cases where journey is performed by Railways at a time when concessional return tickets are available the Commission contribution for the journey by Rail shall be limited to the cost of such return tickets.
- (h) In case any other concession is used, the candidates will be paid the amount spent on rail fare subject to a maximum of Second Class railway fare by the shortest route or the amount of railway fare actually incurred by him, whichever is less.
- (i) Where a candidate commences his journey to the place of interview from a place other than one mentioned as the normal place of residence in his application and this place is more distant from the place of interview than the normal place of residence, he should bring with him, in case he is employed a certificate from his employer in the case of private employment and from the Head of the Office in the case of employment under Government, to the effect that he actually performed the journey from the place for the purpose of the interview. In case he is not employed, any change in the normal place of residence would be recognised only if he had informed the Commission of the change in his address prior to the date of interview.
- NOTE 1— The Commission's contribution towards the travelling expenses will be paid in cash on the spot when the candidates come for interview, except where the candidature is provisional. Candidates are therefore, required to bring with them the enclosed T.A. Forms duly filled in with particulars of onward and return journey when they come for interview.

NOTE 2—The Commission do not make arrangements for boarding and lodging of the candidates.

MGIPF--133 UPSC/2010--5.10.2010--4000 Forms.

7/10

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

विषय--साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण/मौखिक परीक्षा/बुद्धि परीक्षा आदि के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों के यात्रा-व्यय में आयोग के अंशदान से सम्बद्ध टिप्पणी

संघ लोक सेवा आयोग साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को यात्रा या अन्य क्यय नहीं देता है पर वह उसमें निम्नलिखित सीमा तक अंशदान देता है:--

- (क) रेलयात्रा के संबंध में किसी उम्मीदवार के यात्रा व्यय में आयोग के अंशदान के रूप में उम्मीदवार के सामान्य निवास स्थल से या जहां से वह वस्तुत: रेल यात्रा करता है उस स्थल से इनमें जो भी साक्षात्कार स्थल से अधिक नजदीक हो-निकटतम रेल स्टेशन से निकटतम मार्ग द्वारा साक्षात्कार स्थल तक और उसी स्टेशन तक वापसी के लिए केवल एक व्यक्ति का द्वितीय श्रेणी (डाक) का रेल किराया या वस्तुत: दिया गया रेल किराया, जो भी कम हों, मिलेगा। जो उम्मीदवार शायिका की सुविधा का लाभ उठाते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी के रेल किराये के साथ-साथ शायिका पर होने वाले व्यय की भी प्रतिपूर्ति कर दो जायेगा। भारत में जो स्थान रेल द्वारा न जुड़ा हो और जहां यात्रा स्टीमर द्वारा की जाती हो वहां से की गई समुद्र यात्रा के लिए अंशदान की दर भोजन का खर्च निकाल कर केवल एक व्यक्ति के द्वितीय श्रेणी के स्टीमर के किराये तक सीमित रहेगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से साक्षात्कार हेतु बुलाये गये उम्मीदवारों के मामले में उनके स्टीनर के खर्चे में आयोग का अंशदान केवल "बंक क्लास" के किराये तक सीमित रहेगी। भारत के बाहर से आने वाले उम्मीदवारों के मामले में भारत संघ की सीमा में की गई यात्रा के लिए देय यात्रा भत्ता की मात्रा तक ही आयोग का अंशदान सीमित रहेगा।
- (ख) जो उम्मीदवार ऐसी जगह रहता है जहां कोई स्टेशन न हो उस सड़क द्वारा की गई यात्रा के अंश के लिए 8 पैसे प्रति कि. मी. के हिसाब से सड़क मील भत्ता या सड़क यात्रा के लिए अदा की गई वास्तविक रकम का, जो भी कम हो, भुगतान किया जायेगा। सड़क मील भत्ता निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन तक और से या उपमंडल या तहसील मुख्यालय से निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन तक और वापसी के लिए की गई सड़क यात्रा - जो भी फासला कम हो - के आधार पर दिया जायेगा।
- (ग) रेल कर्मचारियों को समुचित रेल प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि उन्हें इस यात्रा के लिए मुफ्त पास/पी.टी.ओ. नहीं दिया गया था, उतना ही अंशंदान अदा किया जायेगा जो अन्य उम्मीदवारों को देय हैं। यदि वे साक्षात्कार हेतु आने के लिए प्रिविलेज पास का उपयोग करते हैं तो यह अंशदान अदा नहीं किया जायेगा।
- (घ) यदि रेल कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारी पी.टी.ओ. का उपयोग करते हैं तो उन्हें पी.टी.ओ पर खर्च हुई रकम दे दी जायेगी जो अधिक से अधिक निकटतम मार्ग का द्वितीय श्रेणी के रेल किराये की रकम या उम्मीदवार द्वारा वस्तुत: रेल किराये पर खर्च की गई रकम जो भी कम हो के बराबर होगी।
- (ङ) दिल्ली में साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आदि के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को निम्नलिखित परिस्थितियों में 30 रुपये प्रतिदिन की दर पर प्रवास भत्ता दिया जायेगा :--
- (1) जब कोई उम्मीदवार किसी तारीख को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए किन्तु प्रशासनिक कठिनाईयों के कारण उसका साक्षात्कार उस दिन न हो पाये और उसके शोघ्र बाद किसी अन्य तारीख को उसका साक्षात्कार हो;
- (2) जब आयोग द्वारा कोई उम्मीदवार अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग तारीख को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए और उनके बीच का समय इतना कम हो कि इस बीच में उम्मीदवार का वापस जाकर फिर आना संभव न हो, और;

टिप्पणी—इस खंड के अन्तर्गत आयोग द्वारा किसी ऐसे उम्मीदवार को भी प्रवास भता प्रदान किया जा सकता है जो आयोग के अलावा किसी अन्य संगठन द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाया गया हो और जिसको उसके सामान्य निवास स्थल से साक्षात्कार स्थल तक की तथा वापसी यात्रा के लिये उस संगठन द्वारा या यात्रा भत्ता दे दिया गया हो (किन्तु उस अवधि के लिए प्रवास भत्ता नहीं दिया गया हो) और वह आयोग के साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए साक्षात्कार स्थल पर रुका रहता है बशर्रों कि यदि पहला साक्षात्कार भी किसी अन्य संगठन के बजाय आयोग द्वारा होकर लिया जाता तो उसको उक्त पैरा के अधीन आयोग द्वारा यह प्रवास भक्ता देय हो जाता।

(3) जब लिखित/प्रायोगिक परीक्षा के बाद जिस तारीख को उम्मीदवार का साक्षात्कार किया जाता हो।

जिस तारीख (जिन तारीखां) को कोई साक्षात्कार या लिखित परीक्षण किया जाता है उसके लिए कोई प्रवास-भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रवास-भत्ता का भुगतान इस शर्त पर होगा कि आने और जाने की यात्रा हेतु यात्रा-भत्ता में किया जाने वाला अंशदान तथा प्रवास भत्ता आने-जाने के लिए की गई दो अलग यात्राओं हेतु किये जाने वाले यात्रा भत्ता अंशदान से अधिक किफायती हो।

- (च) जहां उम्मीदनारों को रेल व सड़क टिकट मिलते हों वहीं हमेशा उन्हें यात्रा हेतु प्रयोग में लाना चाहिए। जहां-जहां ऐसे टिकट मिलते हों वहां आयोग रेल व सड़क टिकटों की लागत तक ही अंशदान करेगा।
- (छ) जब रेल द्वारा यात्रा उस समय की जाए जब रियायती वापसी टिकट मिल सकती हों तो उक्त यात्रा हेतु आयोग का अंशदान हमेशा उन रियायती वापसी टिकटों की लागत तक ही सीमित रहेगा।
- (ज) जब किसी अन्य रियायत का लाभ उठाया गया हो तो उम्मीदवार को रेल किराये पर खर्च हुई रकम का भुगतान किया जायेगा जो अधिक से अधिक सबसे छोटे रास्ते का द्वितीय श्रेणी का रेल का किराया या उसके द्वारा रेल किराये पर खर्च की गई वास्तविक रकम जो भी कम हो होगी।
- (झ) जब कोई उम्मोदवार अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित सामान्य निवास स्थल के अलावा अन्य किसी स्थल में साक्षात्कार स्थल तक अपनी यात्रा आरम्भ करता है और साक्षात्कार स्थल से वह स्थल उसके सामान्य निवास स्थल से अधिक दूर हो और चिंद उम्मीदवार किसी निजी सेवा में हो तो अपने नियोक्ता से और यदि सरकारी सेवा में हो तो अपने कार्यालयाध्यक्ष से उसको इस आशय का प्रमाण-पत्र अपने साथ लाना चाहिए कि उसने साक्षात्कार हेतु उस स्थल से वस्तुत: यात्रा की थी यदि वह सेवारत नहीं है तो उसके सामान्य निवास स्थल से कोई परिवर्तन केवल तभी स्वीकार्य होगा जब अपने परिवर्तित पते की सूचना उसने आयोग को साक्षात्कार की तारीख से पहले ही दे दी हो।

टिप्पणी 1--जहां उम्मीदवार अनंतिम हो उन मामलों को छोड़कर साक्षात्कार हेतु आने वाले उम्मीदवारों को यात्र-भत्ता में आयोग के अंशदान का भुगतान नकद रूप में तत्काल कर दिया जायेगा। अत: उम्मीदवारों को चाहिए कि जब वे साक्षात्कार हेतु आयें तभी अपने आने और जाने की यात्रा का विवरण संलग्न यात्रा भत्ता प्रपत्र में विधिवत् भर कर उसे अपने साथ लेते आयें।

टिप्पणी 2--आयोग द्वारा उम्मीदवारों के भोजन और आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है।

अनुक्रमांक/Roll No. संतो से आ. ok U.P.S.C68 d का नाम Name of प्रमाणित किया जाता है कि:—	ा. कालम / म दावा किए गए रु	हमार पहान भागातम् में त्या मार्चा पार्यामा के कियाये के हिप्त में ही मेरे द्वारा च्या किए जाएंगे।	Spent by me on rail/road/air fare for performing	Journey up to the prace of interview and its	2. इस यात्रा के लिए किसी दूसरे स्रोत से कोई यात्रा	भती थी थीत्री बिली की कोई अश्वतृत नहीं मांगी गया । No TA or any other contribution towards TA in respect of this journey has been claimed from any other source,	 इस यात्रा के लिए कोई रिवायती वापसी टिकट नहीं मिला। 	No concessional return ticket was available. 4. मैं रेल कर्मेनारी हूँ नहीं हूँ । I am/am not a railway servant. 5. सं. ली. से. आ. द्वारा मेरा पिछला साक्षात्कार दिनांक को किया गया था ।	l was previously interviewed by U.P.S.C.
A	द्वारा की गई यात्रा का विवरण ween Station connected by Rail	गई धभार,	उरुतांख अत्या स कर) Class in which Travelled) Sleeper charges and surcharges, if any, should be indicated separately)	7 8 8 AP		मृत/Total काम सा विवरण not connected by Rail	lation and its	ी बार्च का नाम ी गुख्यातम् के distance from	न्तुत्वां जोड़
(भूच प्रति) (Onginal) (अनुतिप सहित) (Duplicate) (अनुतिप सहित) (Duplicate) सर्घ लोक सेवों आयोग से यात्रा भने के अंश्वास की मांग प्रस्तुत करने के लिए फार्म Form for claiming TA contribution for the Union Public Service Commission साक्षात्कार का स्थान Place of Interview Date of Interview	रेत से संबद्ध स्थानों के बीच रेल या दूसरे साधनों द्वारा की गई यात्रा का विवरण Particulars of Journey by Rail or other means between Station connected by Rail	निर्णम अनुपापन गाड़ी का नाम श्रि Departure Arrival Name of (र	स्थान हित्रध स्थान तिर्धि CI Station Date Station Dete ch	2 3 4 5 6 अगः कः आजा/Onward Journey	वापसी यात्रा/Return Journey	मुत्ता को देश के संशक्त नहीं है उनके और यात्रा का विवरण Frativaliars की Sourney between Station not connected by Rail	सामान्य निवास स्थान स निकटनम् (स्व (या स्टान्स्) 'एट्सन क्ष्णं भूषं अपि उसका भूष । Distance from normal place of residence to the megnest Railway/Steamer Station and its name	समान्य निवास स्थान विस्त उप-मण्डलतहसीला में रिशत है उसका मण और उसके मुख्यालय का नाम Name of the Sub-Div/Tehsif in which the normal place of residence is situated and its H.Q. वर्षि उप-मण्डल या तहसील के मुख्यालय में कोई रेस (या स्टीमर) स्थेशन न हा हो मुख्यालय के निकटतम रेल (या स्टीमर) स्थान की बूदी और उसका श्रम If the Sub-Div. or Tehsif H.Q. has not a Railway/Steamer Station, give the distance from H.Q. to the nearest Railway Station and trame	अधिक राधिद PRE-RECEBPT रक्त प्राप्त की ता रक्त प्राप्त की रक्त
(भूत प्रति) (Original) (अनुस्तिप सहित) (Dupl साक्षात्कार का स्थान Place of Interview. Post		नाम व पता Name and address (In Block Letters)					सामान्य निवास स्थान स Distance from normal	सामन्य निवास स्थान जिस् Name of the Sub-Div./ यदि उप-मण्डल या तह निकटतम रेल (या स्टीमर If the Sub-Div. or Tel	नोट : अगर रकम 5000 । फ़ का टिकट Note : Revenue Stam if the amount I

(केवल कार्यालय के इस्तेमाल के लिए) (FOR OFFICE USE ONLY)

	भुगतान कर	न से किया है। (रुपए	om the right place.	2 d ved	:	(Rs					के लिए स्वीकृत		लेखा अधिकारी,	संघ लोक सेवा आयोग	Accounts Officer,	
प्रमाणित किया जाता है कि :	Certified that :	1. उम्मीदवार ने यात्रा भता अंशदान का दावा सही स्थान से किया है	The candidate has claimed TA contribution from the right place.	2. सड़क-मील भत्ता नियमानुसार दिया गया है।	The road mileage allowance has been allowed in accordance.	with the rules.	The state of the s	Daccod for Re	The state of the s	(Rupees		•	लेखा अधिकारी	संघ लोक सेवा आयोग	Accounts Officer,	

五 到4	किए	(रुपए	(Received Rs	(Rupees	(
					,	

MGIPRRND-3885 UPSC/09-40,000 Loose.

10/10